30-07-024	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण रजि.एडी. ऑन लाईन डिलवरी रिपोर्ट पेश की जो संलग्न पत्रावली की गई। अप्रार्थीगण को रूक–रूक कर बार–बार आवाज लगाई कोई उपस्थित नही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने एक पक्षीय बहस दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा सरवाना पटवार हल्का सरवाना तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1249 रकबा 1.12 हैक्टयर, खसरा नम्र 1250 रकबा 1.11 हैक्टयर, आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी आयी हुई है। जिसमें मुझ प्रार्थी का अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा काश्तसुद्वा आया हुआ है। खातेदार स्व. माना पुत्र काना फौत के वारिशान अप्रार्थी संख्या 4 के अ,ब. है। उक्त आराजी संवत् 2060 में सहखातेदारों की सहमति से मौखिक बंटवाड़े के जरिये मौके पर आपसी बंटवाडा कर प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग कर माठे कायम कर कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया। माफिक बंटवाड़े से मुझ प्रार्थी का 1/8 हिस्से की आराजी को मौके पर समतल कर खाद इत्यादि डालकर उपजाऊ बनाया है। प्रार्थी के अलग हिस्से में सालो–साल प्रार्थी काश्त करता आ रहा है। बिगोडी प्रार्थी के हिस्से की प्रार्थी अदा करता आ रहा है। अप्रार्थीगण की नियत में खोट पैदा हो जाने से बंटवाड़ा संवत 2060 से मुर्कर जाने एवं प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जेकाश्त की आराजी को जबरदस्ती हड़पना चाहते है तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी विधिवत बंटवाड़ा सम्पन्न होने से पूर्व में किसी अन्य तीसरे पक्षकार को अवैध रूप से बैचान कर प्रार्थी को प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी से जबरदस्ती बेदखल करने पर उक्त भूमि जबकि बंटवाड़ा संवत् 2060 के अनुसार प्रार्थी के 1/8 हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा बंटवाड़े की तारिख से निरंतर चला आ रहा है। दिनांक 18.06.2024 को प्रार्थी के हिस्से की आराजी में काश्त कर रहा था इतने में अप्रार्थीगण एक नाजायज मजमा बनाकर प्राण घातक शस्त्रों से लैस होकर मौके पर आकर प्रार्थी को उक्त आराजी छोड़कर चले जाने की एलानिया मौखिक धमकी दी, मुझ प्रार्थी की आराजी मुझ प्रार्थी की आराजी भूमि किसी तीसरे पक्षकारान को बैचान की धमकियां देकर गये। जहां प्रार्थी को अपूरणीय क्षति का प्रश्न पैदा हो गया। जिस कारण हम प्रार्थी के पुश्तैनी अधिकार खतरे में पड़ गये है। इसलिए अप्रार्थीगण को मूल वाद के ताफैसला तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। ऐसी सुरत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की मौजा सरवाना पटवार हल्का सरवाना तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1249 रकबा 1.12 हैक्टयर, खसरा नम्र 1250 रकबा 1.11 हैक्टयर, भूमि में ताफैसला राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:40:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner